

14

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०



प्रकरण क्रमांक

12017 निगानी


R 1160 J-17

1. मुस०शिववती पत्नी श्री लालमणि ब्राम्हण
2. शिव कुमार पिता स्व० लालमणि ब्राम्हण
3. शेष कुमार पिता स्व०लालमणि ब्राम्हण

श्री ~~निगानी~~ द्वारा आज दि. 13-4-2017 को प्रस्तुत

समस्त निवासी ग्राम भगदेवा, तहसील हनुमना, जिला रीवा म०प्र०

.....अनावेदकगण/निगरानीकर्तागण

  
ज. सी. मिश्रा  
क्लर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल

बनाम

लक्ष्मण प्रसाद मिश्रा पिता श्री प्रद्युम्न प्रसाद मिश्रा निवासी भगदेवा, तहसील हनुमना जिला रीवा म०प्र० .....आवेदक/गैर निगरानीकर्ता

न्यायालय कलेक्टर महोदय रीवा जिला रीवा म०प्र०के प्रकरण क्रमांक 19/अ3/स्व०निगरानी/2016-2017 में पारित आदेश दिनांक 21.3.017 के विरुद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०राजस्व संहिता

महोदय,

**निगरानी का सूक्ष्म विवरण:-**


ग्राम भगदेवा, तहसील हनुमना जिला रीवा म०प्र०की मूल आराजी नम्बर 565 का कुल क्षेत्रफल 0.34ए०था, जिसमें अनावेदकगणों/निगरानीकर्ता को जो भू भाग हिस्से में प्राप्त हुआ उसका नम्बर

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1160-दो/17

जिला - रीवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04/04/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 19/अ-3/स्व0 निगरानी/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 21.03.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>(बी.एम. शर्मा)</b>  <b>सदस्य</b> </p>	